न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 159/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/238

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रसन्न कौर पत्नी अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ (विलोपित)
2. चरणजीत कौर पत्नी कोमल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 12, अनूपगढ़

—अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. राजपैरोकार, प्रार्थी
2. श्री दिनेश कामरा, अधिवक्ता अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 23/12/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा राजस्थान स्टेट की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम 94 जीबी में प.नं. 329/423 मु.नं. 25 में कुल 3.10 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त रकबा चक 94 जीबी के प.नं. 329/423 मु.नं. 25 कि.नं. 1 ता 4 कुल 3.10 बीघा रकबा सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित 0.886 है. भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी। तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

   इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। साथ ही याचिका सं. 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड़ नाला, तालाब नदी के कैचमेन्ट ऐरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना हैं। उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132/11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज—6/2001 पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज—7/2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

   उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) व 16(6) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। भूमि का आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। जोहड़ हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 94 जीबी प.नं. 329/423 मु.नं. 25 कि.नं. 1/.228, 2/.228, 3/.228,4/.216 कुल 0.886है. भूमि अप्रार्थीया प्रसन्न कौर उप जिला कलैक्टर रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 6402 दिनांक 17.10.1975 को आवंटित की गई थी जो वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हैं। अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटन निरस्त कर भूमि गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। दिनांक 09.02.2024 को अप्रार्थी सं. 2 को प्रार्थना पत्र आ.1नि.10(2)—151 सीपीसी के आधार पर पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की मृत्यु हो जाने तथा भूमि वसीयत के जरिए अप्रार्थी सं. 2 को प्राप्त हो जाने के कारण अप्रार्थी सं. 1 को बतौर पक्षकार

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

विलोपित किया गया। अप्रार्थी जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि वाके अनूपगढ तहसील के चक 94 जी.बी. का मुरब्बा नम्बर 25, पत्थर नम्बर 329/423 का 3.10 बीघा विवादित भूमि जमाबन्दी सम्वत 1952 से 1953 में जोहड़ के रूप में दर्ज हो, कतई बेबुनियाद एवं निराधार है। उक्त कृषि भूमि प्रसन्न कौर बेवा अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 94 जी.बी. तहसील अनूपगढ के नाम से आवंटित हुई थी तथा तत्पश्चात् विधि सम्वत तरीके से सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कृषि भूमि की खातेदारी सनद सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.1993 को उसके नाम से जारी हो चुकी है। उपरोक्त कृषि भूमि वाके अनूपगढ तहसील के चक 94 जी.बी. का मुरब्बा नम्बर 25, पत्थर नम्बर 329/423 के किला नम्बर 01 ता 04 का कुल 3.10 बीघा भूमि खसरा से चकबन्दी में ली गई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी पक्ष की ओर से पत्रावली के साथ प्रस्तुत नही किया गया है। प्रसन्न कौर बेवा अर्जन सिंह की कोई औलाद नही थी जो कि अप्रार्थीया के पति कोमल सिंह की बुआ थी यानि अप्रार्थीया की बुआ सास थी जिसकी घरू जरूरीयात, बीमारी का ईलाज एवं सेवा संभाल लम्बे अरसे से अप्रार्थीया के पति कोमल सिंह एवं उनके परिवार द्वारा यानि अप्रार्थीया द्वारा ही की गई जिस पर सेवा भावना से खुश होकर प्रसन्न कौर पत्नी अर्जन सिंह द्वारा अपने पूर्ण होशो हवास, बिना किसी दबाव एवं स्वस्थ चित से अपने जीवन काल में अनूपगढ तहसील के चक 94 जी.बी. का मुरब्बा नम्बर 21, पत्थर नम्बर 328/422 का किला नम्बर 13 ता 18 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 19 का 1/2 बीघा एवं इसी चक के मुरब्बा नम्बर 25, पत्थर नम्बर 329/423 का क़िला नम्बर 01 ता 03 प्रत्येक में 18 बिस्वा, किला नम्बर 04 में 16 बिस्वा = 3 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 10 बीघा खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 04.10.1996 को अप्रार्थीया के पक्ष में रूबरू गवाहान के सक्षम निष्पादित की गई। अप्रार्थीया की बुआसास प्रसन्न कौर बेवा अर्जन सिंह का दिनांक 30.12.1997 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीया चरणजीत कौर का वसीयत दिनांक 04.10.1996 के आधार पर निरन्तर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीया के पति कोमल सिंह का भी देहान्त हो चुका है। इस कृषि भूमि के अलावा अप्रार्थीया के पास अन्य कोई कृषि भूमि नही है । अप्रार्थीया के परिवार का भरण पोषण का यही एक मात्र सहारा है। अनूपगढ तहसील के चक 94 जी.बी. का मुरब्बा नम्बर 25, पत्थर नम्बर 329/423 का 3.10 बीघा में से 0.886 हैक्टर कृषि भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित हो अथवा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गई हो ऐसा प्रार्थी ने कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली के साथ प्रस्तुत नही किया है। चूंकि उक्त भूमि का आवंटन विशेष आवंटन के रूप में आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया था। आवंटन के समय राजस्व अभिलेख में ऐसी कोई स्थिति नही थी कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जोहड़ के रूप में दर्ज हो। क्योंकि आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन से पूर्व समस्त तथ्यों की जांच करके ही उक्त कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। इन परिस्थितियों में अगर आवंटन आदेश को प्रार्थी पक्ष गलत मानता है तो उसके विरूद्व अपील का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2012 का हवाला देकर मुताबिक जोहड़, नाला, तालाब, नदी को कैचमेंट एरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना है तथा प्रार्थी द्वारा यह भी अंकित किया है कि उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण का यह निवेदन है कि इस प्रकरण में अंकित कृषि भूमि का आवंटन भी ज्यादा पुराना नही है तथा आवंटन के समय इस क्षेत्र में नहर का निर्माण भी हो रखा है। जोहड़ पायतन के लिए उक्त कृषि भूमि की कभी भी आवश्यकता नही रही है तथा ना ही नाला अथवा नदी के कैचमेंट एरिया की परिधि में उक्त भूमि आती है। उक्त भूमि विशेष आवंटन के समय काश्त योग्य भूमि थी। जिसकी समस्त तथ्यों की जांच कर ही आवंटन अधिकारी द्वारा इस भूमि का आवंटन किया गया है। इन परिस्थितियों में वर्णित मद गलत अंकित की गई है। उक्त भूमि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय की परिधि की ना होकर काश्त योग्य भूमि है। उक्त भूमि जोहड़ की होने के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी सबूत प्रार्थी पक्ष की ओर से पत्रावली के साथ प्रस्तुत नही किया गया है। आवंटन के समय उक्त भूमि काश्त योग्य भूमि थी । ऐसी स्थिति में एक तरफ तो उक्त कृषि भूमि का विशेष आवंटन कर आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया था तत्पश्चात् इसकी खातेदारी सनद जारी की गई। खातेदारी सनद का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में

जिला कलक्टर
अनूपगढ

भी दर्ज है। उक्त भूमि का आवंटन किसी भी तरीके से गैर कानूनी नही है तथा ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान यहां लागू होते हैं । आवंटन के समय उक्त भूमि जोहड़ हेतु आरक्षित हो ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली के साथ प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी पक्ष की ओर से यदि आवंटन को गलत माना जाता तो उसके विरूद्व अपील का प्रावधान है। रेफरेंस के प्रावधान यहां लागू नही होते हैं। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खातेदारी दर्ज है। खातेदारी भूमि का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। उक्त भूमि गैर मुमकिन जोहड़ किये जाने लायक नही है। विवादित भूमि का कभी भी उपयोग व उपभोग जोहड़ पायतन के लिए नही हुआ है तथा ना ही प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया गया है कि वर्णित खसरा संख्या से हुई चकबन्दी का अमुक मुरब्बा नम्बर व अमुक किला नम्बर जोहड़ पायतन के लिए आरक्षित थे। ऐसे दस्तावेज के अभाव में उक्त भूमि को जोहड़ पायतन की भूमि नही माना जा सकता है। आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन विशेष आवंटन में विधि अनुसार किया जाकर इस भूमि की नियमानुसार खातेदारी सनद जारी की गई है। ऐसी स्थिति में आज प्रार्थी पक्ष यह कहने का अधिकारी नही है कि उक्त आवंटन विधि विरूद्व है। उपरोक्त भूमि कैचमेंट एरिया से सम्बन्धित नही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने न्यायिक दृष्टान्त में कैचमेंट एरिया को सुरक्षित व सुनिश्चित करने पर फोक्स किया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पाया है कि कैचमेंट एरिया में पानी का बहाव कम होने के कारण डेम में पानी का जल स्तर कम हुआ है ऐसी परिस्थितियों में जब इस भूमि का उपयोग कभी जोहड़ पायतन के लिए हुआ ही नही तो ऐसी भूमि को जोहड़ पायतन के लिए आरक्षित भूमि नही माना जा सकता है। यदि प्रार्थी को ऐसे आवंटन से कोई पीड़ा थी तो वह निर्धारित समयावधि में इस आवंटन के खिलाफ अपील प्रस्तुत कर सकता था। हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जो मत व्यक्त किया है उसमें यह माना है कि जिस गांव में वाटरवर्क्स की डिग्गी बनी हुई है वहां वह भूमि केचमेंट एरिया की परिधि में नही आती है। प्रस्तुत प्रकरण में भी चक 3 एन.एम. आबादी में वाटरवर्क्स बना हुआ है, जिसका पानी अलग से बंधा हुआ है तथा यहां ऐसी कोई स्थिति नही है कि बरसात के पानी को इकटठा कर उसका जलस्त्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण मे बताई गई भूमि में ना ही कभी जोहड़ पायतन था एवं ना ही कभी जोहड़ पायतन की आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रसन्न कौर का देहान्त हो गया है इसलिये मृतक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।रेफरेंस खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. राजपैरोकार एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण रेफरेंस योग्य नहीं होने का कथन कर रेफरेंस खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं।

5. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, आदि के अनुसार भूमि जोहड़ दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त भूमि कभी जोहड़ के रूप में उपयोग में नहीं ली गयी परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में जोहड़ पायतन दर्ज थी जिसका किसी को आवंटन किया है तो वो अवैध है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अनूपगढ़ के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23/12/2024 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ **I.A.S**
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़